अध्याय XII : जनजातीय कार्य मंत्रालय

12.1 छुट्टी यात्रा रियायत के कपटपूर्ण दावों की प्रतिपूर्ति

जनजातीय कार्य मंत्रालय के कर्मचारियों ने छुट्टी यात्रा रियायत के कपटपूर्ण दावों को प्रस्तुत किया जिससे कुल ₹7.40 लाख की अनियमित प्रतिपूर्ति हुई।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन (का.ज्ञा) दिनांक 19 सितंबर 2016 के माध्यम से विशिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अधीन निम्नलिखित योजनाओं को दो वर्षों के लिए बढ़ाया हैः

(ए) गृह नगर एलटीसी *के बदले* में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (एनईआर), जम्मू तथा कश्मीर (जे एंड के) और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह (एएनआई) जाने हेतु एलटीसी।

(बी) एनईआर, जेएंडके तथा एएनआई जाने हेतु गैर-हकदार सरकारी कर्मचारियों को हवाई यात्रा की सुविधा या तो वे भारत में कहीं भी एलटीसी या फिर गृह नगर एलटीसी के बदले में इसका लाभ लें।

(सी) निजी एयरलाइंस द्वारा जे एंड के की यात्रा करने की अनुमति।

निबंधनों एवं शर्तों में यह भी आवश्यक था कि एनईआर तथा एएनआई की एलटीसी की यात्रा एयर इंडिया से की जानी थी, जबकि जेएंडके की एलटीसी की यात्रा हेतु किसी भी एयरलाइन की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता था। हवाई यात्रा के हकदार सरकारी कर्मचारी मुख्यालय से एलटीसी गंतव्य स्थान तक हवाई यात्रा का लाभ उठा सकते हैं, जबकि, गैर-हकदार सरकारी कर्मचारी केवल निर्दिष्ट किये गए क्षेत्रों में ही हवाई यात्रा कर सकते हैं। यह योजना बाद में सितंबर 2018 के का.ज्ञा. द्वारा 25 सितंबर 2020 तक बढ़ायी गई।

उपरोक्त का.ज्ञा. में यह विदित था कि हवाई टिकट सीधे एयरलाइनों (एयरलाइन के बुकिंग काउण्टर, वेबसाइट) से अथवा प्राधिकृत ट्रैवल एजेन्टों[1] की सेवाओं के उपयोग द्वारा खरीदी जानी है। इसके साथ-साथ, का.ज्ञा. में यह

[1] मै.बामर लॉरी एंड कंपनी, मै. अशोक ट्रेवल्स एंड टूरस तथा भारतीय रेलवे केटरिंग तथा पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी)

निर्धारित था कि कर्मचारियों को यह सलाह दी जाए कि एलटीसी के किसी भी दुरुपयोग को गंभीरता से लिया जाएगा तथा नियमों के अंतर्गत उचित कार्रवाई होगी। मंत्रालयों/विभागों को भी सलाह दी गई कि कर्मचारियों द्वारा जमा की गई हवाई टिकट पर अंकित लागत के सामने हवाई यात्रा की वास्तविक लागत के संबंध में संबंधित एयरलाइन से हवाई टिकट के कुछ टिकट यादृच्छिकता से जांचें।

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली 1988, के नियम 16 के अनुसार, एलटीसी के कपटपूर्ण दावे को प्राथमिकता देने हेतु एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। जहाँ, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11 में निर्दिष्ट किसी भी दंड के आरोपण में परिणामी कार्यवाही हो, सरकारी कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही की विचाराधीनता के दौरान पहले से रोके गए सैट के अतिरिक्त एलटीसी के अगले दो सैटों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के कर्मचारियों के एलटीसी अभिलेखों की संवीक्षा ने इसके छः कर्मचारियों[2] द्वारा एलटीसी दावों के छलकपट को प्रकट किया जिन्होनें एयर इंडिया द्वारा एएनआई तथा एनईआर की हवाई यात्राएं की थी। लेखापरीक्षा ने कर्मचारियों द्वारा जमा किए गए दावों की तुलना एयरलाइन द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों से की तथा पाया कि प्रस्तुत किए गए बिल कपटपूर्ण थे। कर्मचारियों द्वारा दावा किया गया किराया एयरलाइन को किए गए वास्तविक भुगतान से अधिक था। इसके अतिरिक्त, इन मामलों में मौजूदा नियमों/अनुदेशों के उल्लंघन में हवाई टिकटें निजी एजेन्टों द्वारा बुक की गई थी। इसका परिणाम ₹7.40 लाख के कुल दावों के अनियमित प्रतिपूर्ति के रूप में रहा।

एमओटीए ने बताया (मई 2019) कि कर्मचारियों द्वारा दावा की गई राशि तथा एयर इंडिया को भुगतान की गई वास्तविक राशि के अंतर को उसपर दंडस्वरुप ब्याज के साथ कर्मचारियों से वसूला गया है। संबंधित कर्मचारियों को यह चेतावनी दी गई है कि भविष्य में वे ऐसे कार्यों से बचें तथा भविष्य में ऐसी

---

[2] दो अनुभाग अधिकारी, एक निजी सचिव, एक सहायक अनुभाग अधिकारी, एक वरिष्ठ लेखाकार तथा एक कम्प्यूटर ऑपरेटर

कोई घटना ध्यान में आती है तो उसे सख्ती से देखा जाएगा तथा माफ नहीं किया जाएगा।

एमओटीए का उत्तर मान्य नहीं है जैसा कि भुगतान की गई ₹7.40 लाख की संपूर्ण राशि के बजाय, कर्मचारियों द्वारा दावा की गई राशि तथा एयर इंडिया को भुगतान की गई वास्तविक राशि के अंतर को संबंधित कर्मचारी से वसूला गया था। इसके अतिरिक्त, कपटपूर्ण दावे जमा करने वाले दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के स्थान पर केवल प्रशासनिक चेतावनी जारी की गई थी। इस प्रकार यह कर्मचारियों को एलटीसी नियमावली के नियम 16 के निबंधनों में एलटीसी के अगले दो सेट में वंचित करने की संभावना को असंभव बनाता है। यह मामला मंत्रालय में आंतरिक नियंत्रण की कमी को उजागर भी करता है जैसा कि निजी एजेंटों द्वारा खरीदी गई टिकटों को स्वीकारा गया तथा दावों को उसी आधार पर पारित किया गया।